फर्द अहकाम
कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती शर्मिलाकुंवर | **विपक्षी : श्रीमती विद्यावती**
किस्म मुकदमा – 251'क' रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 44/22**
जीसीएमएस : 2022/160

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 29.07.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी सं. 1 को जवाब का पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर पूर्व में ही जवाब का अवसर बन्द किया जा चुका हैं। तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट दिनांक 18.07.2022 को पेश की जो शामिल फाईल हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पूर्व में सुनी गई। हमने अधिवक्ता पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा गांव मावली पटवार हल्का मावली की आराजी नम्बर 1394, 1411, 1425, 1518 किता 4 रकबा 0.3318 हेक्टेयर भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी सं. 1 की आराजी नम्बर 1424 रकबा 0.1376 हेक्टेयर में से 15–20 फीट चौडा रास्ता कायम किये जाने का निवेदन किया गया था। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीयां श्री शर्मिला कुंवर पत्नी श्री पूरणसिंह राव निवासी मावली द्वारा अपनी सहखातेदारी कृषि भूमि में जाने के लिए आराजी नम्बर 1424 से रास्ता चाहा गया है जो राजस्व रेकार्ड में कृषि भूमि नहीं होकर अवासीय इकाई के रूप में दर्ज हैं जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' के तहत् केवल कृषि भूमि में से ही रास्ता दिया जा सकता हैं। प्रार्थीयां द्वारा चाहा गया रास्ता खातेदारी भूमि में से नहीं होकर उक्त भूमि की किस्म आवासीय इकाई अंकित हैं। आवासीय इकाई में परिवर्तित भूमि से रास्ता दिया जाना न्यायोचित नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं। :: **आदेश** :: परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मेटेंबल नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। **(मनसुख राम डामोर)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:55:42 IST
Reason: SelfAttested